

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /957 /2023


दिनांक : 22.03.2023

श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ0558), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-1 को दिनांक 28.02.2023 से 02.02.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-1 ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-1 के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/17/2008/2072

दिनांक 22.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 को उनके पत्रांक 1116 दिनांक 04.03.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ0558), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-1
4. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-1
5. विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-1

  
सहायक रजिस्ट्रार